

नगर निगम, शाहजहाँपुर।

प्रेस विज्ञापित

दिनांक 11.07.2020

नगर निगम से सम्बन्धित प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु कृपया कन्ट्रोल रूम फोन नम्बर-05842-225437 अथवा मोबाइल नं०- 7355338008 पर सम्पर्क करें,

- जिलाधिकारी/प्रशासक एवं नगर आयुक्त महोदय द्वारा नोवेल कोरोना वायरस-19 तथा जे0ई0/ए0ई0एस एवं अन्य वैक्टरजनित रोगों की रोकथाम, प्रभावी नियंत्रण तथा उपचार हेतु स्वच्छता के लिये समुचित कार्यवाही/विशेष अभियान के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया।

विशेष अभियान के अन्तर्गत 07 नोडल अधिकारी, 46 सहायक/अवर अभियन्ताओं सहित 46 कर्मचारियों को तथा निम्नानुसार उपकरण वार्डवार तैनात किया गया है।

क्र० स०	कर्मचारी	नगर निगम	संक्रामक अनुभाग	कुल
1	सॉडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा सेनेटाइजेशन (QRT)	48	—	48
2	एन्टीलार्वा	55	01	56
3	फागिंग	26	—	26
4	सफाई	707	—	707
	योग	836	01	837

क्र० स०	उपकरण	नगर निगम	अग्निशमन विभाग	कुल
1	व्हीकल माउटेड फागिंग मशीन	07	—	07
2	कोल्ड फागिंग मशीन	02	—	02
3	मिडियम फागिंग मशीन	03	—	03
4	हैण्डस्प्रै पम्प की संख्या	55	—	55
5	बुलेट स्प्रै मशीन	—	03	03
6	मैजिक स्प्रै मशीन	—	01	01
7	ट्रैक्टर माउन्टेड सेनेटाइजेशन मशीन	08	—	08
8	कूड़े उठाने के छोटे एवं बड़े वाहन	123	—	123
	योग	198	04	194

मुख्य सचिव उ०प्र० शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2020 तथा विशेष सचिव उ०प्र० शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2020 के क्रम में कोविड-19 एवं अन्य वैक्टरजनित रोगों की रोकथाम हेतु दिनांक 10, 11, 12 जुलाई तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को नगर निगम द्वारा प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। आज दिनांक 11.07.2020 को जिलाधिकारी/प्रशासक, पुलिस अधीक्षक एवं नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर क्षेत्र में भ्रमण कर अभियान कार्य में निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक निर्देश दिये गये। भ्रमण के दौरान सुभाष टावर के साथ एवं उसके आस-पास क्षेत्र में सेनेटाइजेशन एवं साफ-सफाई करायी गयी।

नगर निगम के संसाधन के साथ-साथ अग्निशमन की गाड़ी से सेनेटाइजेशन कराया गया। लकड़ी मंडी बहादुरगंज में कुछ दुकानों खुली पाये जाने पर एवं दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कारण मौके पर चालान काटा गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सख्त चेतावनी देते हुये कहा कि लॉकडाउन की अवधि में कोई भी दुकान न खोले और न ही अतिक्रमण करे। अगर कोई अतिक्रमण या दुकान खोले पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा-144 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय एवं नगर आयुक्त महोदय द्वारा सुभाष टावर होते हुये झण्डा रोड पर लोगों को हिदायत दी कि लॉकडाउन की अवधि में आप लोग घर पर ही बैठे और दो गज की दूरी बनाये तथा मास्क लगाये। इसके अतिरिक्त लाल इमली चौराहा से होते हुये टाउन हाल स्थित चल रहे प्रेस क्लब के निर्माण कार्य को तत्काल कराये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी महोदय टाउनहाल स्थित फुव्वारे का निरीक्षण किया गया, एवं निर्देशित किया कि इस चौराहे को कवि चौराहे के नाम से रखा जाये। इसके साथ ही गाँधी भवन में गाँधी जी की मूर्ति, लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति एवं सुभाष चन्द्र बोस जी मूर्ति एवं गाँधी भवन की साफ-सफाई कराने हेतु नगर आयुक्त महोदय को निर्देश दिये तथा अपनी उपस्थिति में गाँधी भवन परिसर तथा टाउनहाल के आस-पास पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज कराया गया। नगर आयुक्त महोदय द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि नगर क्षेत्र में वेक्टरजनित रोगों तथा अन्य संचारी रोगों तथा कोविड-19 के रोकथाम प्रभावित नियंत्रण तथा उपचार हेतु प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 30 जून, 2020 के अनुपालन में वार्डवार नोडल अधिकारियों की तैनाती कर नगर क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है प्रत्येक जोन के लिये नगर निगम वरिष्ठ अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों को नामित किया गया। नाले की सफाई, नालियों में दवा छिड़काव, जल निकासी की समुचित व्यवस्था, खुले में शौच से मुक्त, वातावरणीय स्वच्छता तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/ स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चला जा रहा है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु, खराब हैन्डपम्पो को रिबोर कराये, टैंकियों तथा टैंकरो की सफाई करायी जा रही है। जलापूर्ति की पाइपों के लीकेज की समस्या तत्काल दूर की जा रही है। प्रवर्तन दल के माध्यम से प्रतिदिन अभियान चलाकर प्रतिबन्धित पालीथीन से निर्मित वस्तुओं को सीज करने तथा जुर्माना लगाने का कार्य भी किया जा रहा है ध्वनि विस्तारण के माध्यम से नियमित रूप से हाथ धोने, मास्क लगाने, दो गज की दूरी रखने तथा संक्रमण के बचाव का उपाय बताते हुये लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी/प्रशासक एवं आयुक्त महोदय द्वारा नगर निगम के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक नाले/नालियों की सफाई रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित करें। जलभराव की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिये, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव तथा फागिंग निरन्तर रूप से किया जाये। वेक्टरजनित रोगों के संक्रमण से बचा जा सके। शहर के चिन्हित कंटेनमेंट जोन में निरन्तर करते हुये जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करायी जाये। भ्रमण के समय श्री इन्द्र विक्रम सिंह, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक श्री एस0 आनन्द, श्री संतोष कुमार शर्मा, नगर आयुक्त, श्री रामसेवक द्विवेदी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), श्रीमती विनीता सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, श्री आशुतोष कुमार दुबे सहायक नगर आयुक्त, क्षेत्राधिकारी, सदर श्री बी0एन0 द्विवेदी महाप्रबन्धक (जल), श्री ओ0पी गौतम, नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं नगर निगम, पुलिस विभाग, अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, शाहजहाँपुर।

11-7-2020